"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 99] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी 2014— फाल्गुन 6, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2014

क्रमांक 1929/डी. 34/21-अ/प्रारू./छ. ग./14. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 22-02-2014 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 4 सन् 2014)

छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2014

छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी - आयु) अधिनियम, 1967 (क्र. 29 सन् 1967) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 29 सन् 1967 की धारा 2 द्वारा यथा प्रतिस्थापित मूलभूत नियम (फंडामेंटल रूल्स) के नियम 56 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, 1967 (क्र. 29 सन् 1967) की धारा 2 द्वारा यथा प्रतिस्थापित मूलभूत नियम के नियम 56 में, निम्नलिखित संशोधन निगमित किया जाये, अर्थात् :-

(एक) उप-नियम (1) में, शब्द, अंक, कोष्ठक, हायफन तथा विरामचिन्ह (1-क), (1-ख) एवं (1-ग) को विलोपित किया जाए.

(दो) उप-नियम (1) में, जहां कहीं भी शब्द "साठ" आया हो, के स्थान पर शब्द "बासठ" प्रतिस्थापित किया जाए.

(तीन) उप-नियम (1-क), (1-ख) एवं (1-ग) को विलोपित किया जाए.

निरसन.

3. छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (क्रमांक 2 सन् 2013) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2014

क्रमांक 1929/डी. 34/21-अ/प्रारू./छ. ग./14.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी -आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 4 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 4 of 2014)

THE CHHATTISGARH SHASKIYA SEVAK (ADHIVARSHIKI-AYU) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2014

An Act further to amend the Chhattisgarh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) Adhiniyam, 1967 (No. 29 of 1967).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2014. **Short title and commencement.**

   (2) It shall come into force from the date of its Publication in the Official Gazette.

2. In Rule 56 of the Fundamental Rules as substituted by Section 2 of the Chhattisgarh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) Adhiniyam, 1967 (No. 29 of 1967), following amendment shall be incorporated, namely :- **Amendment of Rule 56 of Fundamental Rules as substituted by Section 2 of the Chhattisgarh Act No. 29 of 1967.**

   (i) In sub-rule (1), the words, figures, Parenthesis, hyphen and punctuation, (1-a), (1-b) and (1-c) shall be omitted.

   (ii) In sub-rule (1), for the words, "Sixty" wherever it soccurs, the word "Sixty- two" shall be substitued.

   (iii) Sub-rule (1-a), (1-b) and (1-c) shall be omitted.

3. The Chhattisgarh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) (Sanshodhan) Ordinance, 2013 (No. 2 of 2013) is hereby, repealed. **Repeal.**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.